न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नौनेरा

पीठासीन अधिकारी **सुरेश कुमार यादव R.A.S.**

मुकदमा नं0. 102/2017 राजस्व वाद

...राज पुत्र गुलाबचन्द जाति जाट निवासी नौनेरा तहसील कामां जिला भरत

बनाम

... बलवीर पुत्र परसादी जाति बैरागी निवासी नौनेरा तहसील कामां जिला भ

— प्र

दावा अन्तर्गत धारा

निर्णय

दिनांक

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा, 1... इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 322/0.16, वाके ग्राम नौनेरा ... की आराजी मुतदाविया पर रिकार्ड खातेदार काश्तकार है । तथा प्रतिवादी ... आराजी पर किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है । प्रतिवादी झगडालू किस्म क... तथा प्रतिवादी वादी की खातेदारी की आराजी पर जबरन दखल करता है और व... परेशान करता है । जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी नाजयज कब्ज... चाहता है । प्रतिवादी वादी की दक्षिण दिशा की आराजी की तरफ से जबरन अ... वादी को बेदखल करना चाहता है । जिसने कई बार जबरन कब्जा ना करने के ... निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है । प्रतिवाद... ...06.2017 को एलानिया धमकी दी कि मैं जल्दी ही वादी की आरजी पर नाजाय... ... वादी को बेदखल कर दूंगा । रोका तो जान से खत्म कर दूंगा । प्रतिवादी ... अपने बुरे इरादे मे कामयाब हो गया तो वादी को अपरमित क्षति होगी । जिसकी ... ... नगद कदापि नहीं हो सकेगी । विधि वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादी को बिक... ... दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है ।

बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जा कर दावा की जबाव देही हेतु प्रतिवादी ... ... तलब किया गया प्रतिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित अदालत आये। मुझ प्र... ... के पक्ष में दिनांक 22.05.15 को वर्तमान वादी के बाबा शेरसिंह के विरूद्ध ... डिक्री पारित होने के उपरान्त डिक्री की अनुपालना में दिनांक 25.01.2017 को प्रति... ... आराजी ख0नं0 322 में ख0नं0 323 प्रतिवादी की खातेदारी का है । वा... अतिक्रमण कर मिलाने जाने की तथ्य की पुष्टि होने व खसरा नम्बर 323 प्रतिवादी ... अतिक्रमण मुक्त करा कब्जा प्रतिवादीगण को लिये जाने के बाबजूद वादी ने पुनः ... ... की पौध को नष्ट करने के प्रयास पर प्रतिवादी ने दिनांक 30.6.17 को प...

सकेगी । विधि वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादी को बिकी हुक्म इन्तनाई व
का अधिकारी है ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जा कर दावा की जबाव देही हेतु
सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित अदालत आ
अन्य के पक्ष में दिनांक 22.05.15 कसे वर्तमान वादी के बाबा शेरसिंह व
डिक्री पारित होने के उपरान्त डिक्री की अनुपालना में दिनांक 25.01.20
खातेदारी आराजी ख0नं0 322 में ख0नं0 323 प्रतिवादी की खातेदारी क
अतिक्रमण कर मिलाने जाने की तथ्य की पुष्टि होने व खसरा नम्बर 32
अतिक्रमण मुक्त करा कंब्जा प्रतिवादीगण को लिये जाने के बाबजूद वाद
की धान की पौध को नष्ट करने के प्रयास पर प्रतिवादी ने दिनांक 30.6.
सहायता प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी श्री
किया जो आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश के साथ , उनके पत्रंक 8
का प्रेषित किया जा चुका है उसकी छाया प्रति जबाव दावे के साथ सल
वर्तमान दावा तथ्यों को तोड मरोड कर रख्ते हुए न्याय प्रकिया को वाधित
से दूषित मन से किया गया प्रयास है । वाद स्वच्छ हाथों , स्वच्छ मन व
किये जाने के कारण प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है ।
खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 322 की पैमायश करा सकता था जो
अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया

आज न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत नौनेरा में पेश हुई । बह
जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों का मनन
कामा को लिखा जावे कि दोनों पक्षो में उपस्थिति में विवादित खसरा नम्ब
की पैमायश कर सीमाकंन करना । तथा पक्षकारान को हिदायत दी जावे
आराजी पर काबिज रह कर काश्त करना उचित समझते हैं । इस आश
कर तहसीलदार कामां को भेजा जावे ।

अतः आदेश है कि –

तहसीलदार कामां को आदेश दिया जाता है कि दोनों पक्षो की उपि
खसरा नम्बर 322 रकवा 0.16 के पैमायश कर सीमाकंन करें । तथा पक्षक
दी जावे कि अपनी अपनी आराजी पर काबिज रह कर काश्त करें । इस
दिया कर तहसीलदार कामां को भेजा जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर
जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(सुरेश
सहायक
उपखण्ड अ